

फॉर्म 18

(नियम 78 (1), 80 (1), (3), और (5) और 80-बी (1) और (5)

जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान के भुगतान का आकलन और प्राधिकृत करने के लिए फॉर्म।

(यदि लेखांकन इकाई के किसी भिन्न सर्कल में भुगतान वांछित हो तो दो प्रतियों में भेजा जाए)

भाग -I

खण्ड - I

- | | |
|--|--|
| 1. मृत सरकारी सेवक का नाम | : |
| 2. पिता का नाम (और महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति का नाम भी) | : |
| 3. जन्म की तारीख (ईसाई युग के अनुसार) | : |
| 4. मृत्यु तिथि (ईसाई युग के अनुसार) | : |
| 5. धर्म | : हिन्दू |
| 6. कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें अंतिम बार कार्यरत थे | : कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), प. बं. |
| 7. अंतिम बार नियुक्ति हुई | : (i) मूल : मूल
(ii) स्थानापन्न |
| 8. सेवा प्रारंभ होने की तिथि | : |
| 9. सेवा समाप्ति की तिथि | : |
| 10. (i) सैन्य सेवा की कुल अवधि जिसके लिए पेंशन उपदान स्वीकृत किया गया था, और
(ii) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेंशन उपदान की राशि और प्रकृति। | |
| 11. पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन की राशि और प्रकृति, यदि कोई हो | |
| 12. जिस सरकार के अधीन रोजगार के क्रम में सेवा प्रदान की गई है। | |
| 13. वह तारीख जिस दिन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में कार्यालय प्रमुख को सूचना प्राप्त हुई थी। | |
| 14. वह तारीख जिस पर कार्रवाई शुरू की गई:-
(i) नियम 77 में दिए गए प्रावधान अनुसार मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन के लिए दावेदारों से उचित फॉर्म में दावा या दावा प्राप्त करें।
(ii) नियम 80-सी (1) में दिए गए प्रावधान अनुसार संपदा निदेशालय से 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' प्राप्त करें।
(iii) नियम 80-सी (2) में दिए गए प्रावधान अनुसार सरकारी आवास के कब्जे से संबंधित बकाया के अलावा सरकारी बकाया का आकलन करें।
(iv) नियम 78 और 79 में दिए गए प्रावधान अनुसार मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त सेवा और परिलक्षियों का आकलन करें। | |
| 15. क्या नामांकन किया गया है -
(i) मृत्यु उपदान
(ii) पारिवारिक पेंशन, 1950 यदि लागू हो | |

N
O
C
H
A
N
G
E

N
O
C
H
A
N
G
E

16. मृत्यु उपदान/पेंशन के लिए अर्हताप्राप्त सेवा अवधि

17. गैर-अर्हक सेवा की अवधि

- | | | |
|-------|--|---------|
| (i) | नियम 28 के तहत सेवा में व्यवधान क्षमा किया गया | : से तक |
| (ii) | असाधारण छुट्टी ग्रेचुटी के लिए योग्य नहीं है | : |
| (iii) | निलंबन की अवधि को गैर-योग्य योग्यता के रूप में माना जाएगा | : |
| (iv) | किसी अन्य सेवा को अर्हक गैर-अर्हकारी सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा | : |

गैर-अर्हक सेवा की कुल अवधि

:

18. (a) मृत्यु उपदान के लिए गणना की गई परिलिखियाँ

(b) मृत्यु उपदान की राशि

:

:

19. यदि पारिवारिक पेंशन, 1964 लागू होती है:

(i) प्रस्तावित पारिवारिक पेंशन

:

(a) बढ़ी हुई दरें (यदि मृत्यु के समय प्रदान की गई सेवा नियम 54 (3)

: लागू नहीं

के अनुसार सात वर्ष से अधिक है)

: लागू नहीं

(b) सामान्य दरें- (नियम 54(2) के अनुसार)

: से तक

(ii) पारिवारिक पेंशन की अवधि, 1964

: लागू नहीं

a) वर्धित दर

:

b) सामान्य दर

:

i) (7वें सीपीसी के अनुसार)

जिन व्यक्तियों को पारिवारिक पेंशन देय है:

नाम Ms.ILA RAANI BHUNIA,

मृत सरकारी कर्मचारी के साथ संबंधः

पूरा डाक पता:

20. ग्रेचुटी से वसूली योग्य सरकारी बकाया का विवरण

:

(i) सरकारी आवास के अधिग्रहण के लिए लाइसेंस शुल्क (नियम 80-सी देखें) :

(ii) संपदा निदेशालय से सूचना प्राप्त होने तक मृत्यु उपदान की राशि रोकी जाएगी :

(iii) नियम 80-सी (2) में उल्लिखित बकाया :

21. वह तारीख जिस दिन दावेदारों से दावे प्राप्त हुए

:

22. अभिभावक का नाम जो नाबालिगों के मामले में मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करेगा

:

23. भुगतान का स्थान (कोषागार, उप-कोषागार या शाखा या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या वेतन और लेखा कार्यालय: INDIAN BANK,

Balighai, Vill+P.O.- Balighai, Dist.- Purba Medinpur Pin Code- 721422

N
O
C
H
A
N
G
E

खण्ड - II

नियम 80-ए के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित और वितरित की जाने वाली अनंतिम पारिवारिक पेंशन और ग्रेचुटी का विवरण।
 अनंतिम पारिवारिक पेंशन (7वें सीपीसी के अनुसार) प्रति माह
 ग्रेचुटी (भाग-। के मद 18(बी) में उल्लिखित राशि) रूपये प्रति माह
 को निकालकर

- (a) सरकारी आवास के अधिग्रहण के लिए लाइसेंस शुल्क ग्रेचुटी से वसूल किया जा सकता है (जैसा कि भाग । के मद 23 (i) में है) : ₹
- (b) भाग । के मद 23 (ii) के अनुसार राज्य निदेशालय से सूचना प्राप्त होने तक ग्रेचुटी की राशि रोकी जाएगी : ₹
- (c) अन्य सरकारी बकाया जैसा कि भाग । के आइटम 23 (iii) में उल्लिखित है : ₹
- (d) (ए), (बी) और (सी) का कुल योग : ₹

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

भाग - II

खण्ड - I

राशि सम्मिलन

1. अर्हक सेवा की कुल अवधि जिसके लिए स्वीकार किया गया है :
 (a) मृत्यु उपदान :
 (b) पारिवारिक पेंशन, 1964 :
2. सरकारी देय राशि को समायोजित करने के बाद ग्रेचुटी की शुद्ध राशि :
3. पारिवारिक पेंशन की अवधि, 1964 की राशि और स्थायित्व की अवधि,
 यदि मृत्यु हुई हो :
 राशि स्थायित्व की अवधि

₹. से तक

- (i) सात वर्ष की सेवा से पहले :
- (iv) सात वर्ष की सेवा के बाद :
4. पारिवारिक पेंशन की राशि और स्थायित्व की अवधि, 1950 :
5. वह तारीख जिससे पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है :
6. लेखा शीर्ष जिस पर मृत्यु उपदान और पारिवारिक पेंशन प्रभार्य है :

खण्ड -II

1. मृत सरकारी कर्मचारी का नाम :
2. सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि :
3. वह तारीख जिस दिन पेंशन के कागजात लेखाधिकारी को प्राप्त हुए :
4. पारिवारिक पेंशन की राशि अधिकृत :
5. अधिकृत ग्रेच्युटी की राशि :
6. पारिवारिक पेंशन प्रारंभ होने की तिथि :
7. वह तारीख जिस दिन पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान अधिकृत किया गया :
8. ग्रेच्युटी से वसूली योग्य राशि :
9. 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' की लंबित प्राप्ति पर रोकी गई ग्रेच्युटी की राशि :

स्थान :

दिनांक :

लेखा अधिकारी